



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक-581/प्रवर्तन जोन-1/17-18

दिनांक 25/01/2018

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' /भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

राननगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम-मोरटी, में खसरा संख्या-146 व 199 के भूखण्ड क्षेत्रफल 22274.15 वर्ग मीटर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन जिसका मानचित्र सं०-278/जोन-1/जी०एच०/2012-13 दिनांक 01.01.2013 स्वीकृत है एवं क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित संशोधित मानचित्र सं०-504/जी०एच०/जोन-1/2014-15 दिनांक 09.06.2015 स्वीकृत है तथा आंशिक विचलन के फलस्वरूप शमन मानचित्र दिनांक 23.08.2017 को स्वीकृत है, के सम्बन्ध में आवेदक विकासकर्ता मै० जैविन कन्सट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा ब्लॉक-ए के आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गए आवेदन/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 20.01.2018 को प्रदान की गयी है। अतः उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों संख्या-01 से 15 के अधीन जारी किया जाता है।


24/01/18

(आर.पी.सिंह)

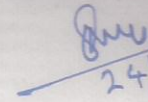
अधिशाली अभियन्ता/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-01

ग्राम-मोरटी, खसरा सं०-146 व 199 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन का आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है :-

1. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण-पत्र भवन उपविधि-2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ-पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
3. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण-पत्र किये जाते समय पुनः जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
4. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए०ओ०ए० की होगी।
6. एन०जी०टी० के आदेशों के अन्तर्गत भू जल उपयोग हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. भवन के स्ट्रक्चरल/एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
9. स्थल पर विकसित ग्रीन एरिया एवं एस०टी०पी० के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए०ओ०ए० की होगी।
10. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
11. सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
12. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अन्य समस्त कार्य जैसे-सीवर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन आदि के कार्य करने एवं अनुरक्षण का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
13. विकासकर्ता को उ०प्र० रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एवं अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
14. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
15. स्वीकृत मानचित्र सं०-504/जीएच/जोन-1/14-15 दिनांक 09.06.15 को अन्य ब्लॉक के निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व संशोधित कराना होगा।


24/01/18

(ए.आर.जैदी)
अवर अभियन्ता


24/01/18

(आर.पी.सिंह)
अधिशाली अभियन्ता/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-1